

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (2)(43)राष्ट्र/सान्याअवि/20/ 6048

जयपुर, दिन क 22/3/2021

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7 (2)(5)राष्ट्र/सान्याअवि/18/85535 दिनांक 27.12.2018 द्वारा राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास कलमण्डा तह बारां जिला बारां जिसकी स्वीकृत क्षमता 25 है को राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिला मुख्यालय झुन्झुनू में राज कीय सावित्री बाई फुले (अनुसूचित जाति) कन्या छात्रावास झुन्झुनू के नाम से स्थानान्तरित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से संचालित की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभागीय जिलाधिकारी झुन्झुनू द्वारा उक्त छात्रावास को जिला मुख्यालय पर स्थित बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा निर्मित छात्रावास भवन में संचालन हेतु शिक्षा विभाग के पत्रांक 17 (20) शिक्षा-6/2014/झुन्झुनू जयपुर दिनांक 27.5.2019 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त राजकीय सावित्री बाई फुले (अनुसूचित जाति) कन्या छात्रावास झुन्झुनू का संचालन बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा निर्मित छात्रावास भवन में संचालन की अनुमति चाही गई थी।

अतः राजकीय सावित्री बाई फुले (अनुसूचित जाति) कन्या छात्रावास झुन्झुनू को बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा निर्मित छात्रावास भवन में संचालन की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

3  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7 (2)(43)राष्ट्र/सान्याअवि/20/ 6049 -58  
प्रतिलिपि :-

जयपुर, दिन क 22/3/2021

- निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एस.के.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, जिला कलक्टर झुन्झुनू।
- निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
- निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
- सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुन्झुनू।
- आदेश पत्रावली।

  
22/03/2021  
(अनुपम कायल)  
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)